भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1308

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति

1308. श्री इमरान मसूदः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जिसके लिए किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों का पता लगाने के लिए वर्ष 2016 में गठित समिति ने वर्ष 2018 में 7-सूत्रीय योजना सुधार और कार्यक्रम जारी करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों की आय दोगुनी कर दी गई है और यदि हां, तो गरीबी और कर्ज के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या करने के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 2018 से उक्त कारणों से देश भर में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): सरकार ने "किसानों की आय दोगुनी करने (डीएफआई)" से संबंधित मुद्दों की जांच करने और इसे हासिल करने के लिए रणनीतियों की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, वर्ष 2016 में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया था। समिति ने सितंबर, 2018 में सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी गई जिसमें विभिन्न नीतियों, सुधारों और कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी करने की सिफारिशें शामिल थीं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, समिति ने आय वृद्धि के निम्नलिखित सात स्रोतों को चिन्हित किया है: -

i. फसल उत्पादकता में वृद्धि
ii. पशुधन उत्पादकता में वृद्धि
iii. संसाधन उपयोग दक्षता - उत्पादन लागत में कमी
iv. फसल सघनता में वृद्धि
v. उच्च मूल्य वाली कृषि में विविधीकरण
vi. किसानों की उपज पर लाभकारी मूल्य
vii. अधिशेष मानवशक्ति का कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों की ओर स्थानांतरण

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए उचित कदम उठाती हैं। हालाँकि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए है, जिनका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान 27,662.67 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2023-24 के दौरान 1,25,035.79 करोड़ रुपये कर दिया है।

सरकार के निम्नलिखित प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत बजटीय प्रावधान किए हैं। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम किसानों के कल्याण के लिए है, जिनका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता प्रदान करना है, जिनमें शामिल हैं:

1. पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता
2. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)
3. कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण
4. उत्पादन लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करना
5. देश में जैविक खेती को बढ़ावा
6. प्रति बूंद अधिक फसल
7. सूक्ष्म सिंचाई निधि
8. कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का संवर्धन
9. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
10. कृषि यंत्रीकरण
11. नमो ड्रोन दीदी
12. किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना
13. राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) विस्तार मंच की स्थापना
14. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) का शुभारंभ
15. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
16. कृषि उपज लॉजिस्टिक्स में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।
17. समेकित बागवानी विकास मिशन **(** एमआईडीएच) - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:
18. कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का निर्माण
19. कृषि एवं संबद्ध कृषि वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

(ग) से (घ): किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं। 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें असंख्य सफल किसानों में से 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन है, जिन्होंने अपनी आय दो गुनी से अधिक बढ़ाया है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) द्वारा निश्चित अंतराल पर स्थिति मूल्यांकन सर्वेक्षण (एसएएस) किया जाता है। कृषि परिवारों की आय के बारे में उपलब्ध अंतिम अनुमान राष्ट्रीय सैम्पल सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा 77 वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2019) के दौरान किए गए कृषि परिवारों के स्थिति आकलन सर्वेक्षण पर आधारित हैं। सर्वेक्षण के अनुसार, एनएसएस 70वें दौर (2012-13) और एनएसएस 77वें दौर (2018-19) से प्राप्त प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

तालिका: वर्ष 2012-13 और वर्ष 2018-19 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय (रुपये में) (केवल भुगतान किए गए व्यय पर विचार करते हुए)

स्तर	कुल आय (रुपये में)	
	70वां दौर (जनवरी-दिसंबर 2013)	77वां दौर (जनवरी-दिसंबर 2019)
(1)	(2)	(3)
अखिल भारतीय	6,426	10,218

गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) में आत्महत्याओं के बारे में जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। एडीएसआई रिपोर्ट में किसानों की आत्महत्या के अलग-अलग कारण नहीं बताए गए हैं।

हालांकि, एडीएसआई रिपोर्ट में आत्महत्या के निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया गया है (किसानों के संदर्भ के बिना): पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, शराब की लत, विवाह संबंधी मुद्दे, प्रेम संबंध, दिवालियापन या ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, परीक्षा में विफलता, व्यवसाय/करियर समस्या और गरीबी।

******